REVIEW OF RESEARCH

माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के पुनर्संगठन से अध्यापक शिक्षा संस्थानों के प्रबन्धकों के समक्ष व्युत्पन्न भौतिक संसाधनों से सम्बंधित चुनौतियों का अध्ययन

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 8 | MAY - 2019

श्रीमती चंचल लता[1] , डॉ. मुरलीधर मिश्रा[2]

[1] शोध छात्रा, शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, टोंक, राजस्थान .
[2]एसोशिएट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, टोंक, राजस्थान.

सारांश

राजस्थान राज्य में अध्यापक शिक्षा के पुनर्संगठन से प्रबन्धकों के समक्ष व्युत्पन्न भौतिक संसाधनों से सम्बंधित चुनौतियों के इस वर्णनात्मक सर्वेक्षण में अध्यापक शिक्षा संस्थानों के कुल 100 प्रबन्धकों से प्रदत्त संकलित किये गये। इस अध्ययन के उद्देश्य माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के पुनर्संगठन से अध्यापक शिक्षा संस्थानों के प्रबन्धकों के समक्ष व्युत्पन्न भौतिक संसाधनों से सम्बंधित चुनौतियों का अध्ययन करना, व्युत्पन्न भौतिक संसाधनों से सम्बंधित चुनौतियों के प्रबन्धकों द्वारा निकाले गए व्यक्तिगत या संस्थागत समाधान की जानकारी प्राप्त करना तथा इन चुनौतियों के समाधान हेतु प्रबन्धकों के सुझावों का विश्लेषण करना थे। अधिकाँश प्रबंधकों के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय कक्ष में 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को बैठने की सुविधा करना, पुस्तकालय में 1000 पुस्तक शीर्षक तथा ऐसी शीर्षकों की 3000 पुस्तकें उपलब्ध करवाना, पाठ्यचर्या प्रयोगशाला में विद्यालय पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सामग्री व अन्य संसाधन उपलब्ध करवाना, सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी सुविधाएँ {कम्प्यूटर, टीवी, कैमरा, आई.सी.टी. उपकरण जैसे-रिसीव ओनली टर्मिनल, एस.आई.टी. (सेटेलाइट इंटरलाकिंग टर्मिनल) आदि} उपलब्ध करवाना तथा बहुप्रयोजन हॉल में निर्मित क्षेत्र को न्यूनतम 2000 वर्ग फीट कर देने के नियम का अनुपालन एक चुनौती नहीं है। प्रबन्धकों द्वारा चुनौतियों के व्यक्तिगत या संस्थागत समाधान निकाले गए हैं तथा इनका सामना करने के क्रम में व्यावहारिक सुझाव दिये गये हैं।

प्रयुक्त शब्दावली: माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, अध्यापक शिक्षा संस्थान, प्रबन्धक, भौतिक संसाधन, व्युत्पन्न चुनौतियाँ.

गार्म एवं कर्लसेन (2004) ने अध्यापक शिक्षा में सुधार और संबंधित परिदृश्य पर केंद्रित अपने लेख में नॉर्वे को आधार मानकर यूरोप में अध्यापक शिक्षा में सुधारों का पुनरीक्षण करते हुए बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, पिछला एक दशक विशेष रूप से अध्यापक शिक्षा को लेकर, शैक्षिक सुधारों और पुनर्गठन का एक गहन दौर रहा है। उनियाल एवं पाण्डेय (2007) ने अध्यापक शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियों के अध्ययन में पाया कि अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में परम्परागत शिक्षण के स्थान पर उन शिक्षण अधिगम क्रियाओं का उपयोग किया जाए जिनके द्वारा कक्षा के वातावरण में निरन्तरता व जागरूकता बनाये रखने में सहायता मिले।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा जारी अधिनियम-2014 में अधिनियमित नये नियामक के सन्दर्भ में अध्यापक शिक्षा के पुनर्संगठन के क्रियान्वयन पर केन्द्रित अध्ययनों में

विशिष्टतः साओ एवं व बहेरा (2014) ने प. बंगाल के सिद्धो कान्हा बिरसा वि.वि. से सम्बद्ध बी.एड. महाविद्यालयों के शिक्षार्थी अध्यापकों का द्विवर्षीय बी.एड. कार्यक्रम के प्रति दृष्टिकोण जानने के लिए, नटराज (2014) ने बी.एड. महाविद्यालयों में अध्ययनरत शिक्षार्थी अध्यापकों का कार्यक्रम व स्वयं के भविष्य के प्रति दृष्टिकोण जानने के लिए, कुमार (2016) ने लिंग, धारा और योग्यता के संदर्भ में इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रति छात्राध्यापकों के दृष्टिकोण जानने के लिए, कौर एवं शर्मा (2016) ने झारखण्ड व दिल्ली के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षुओं के लिए द्वि-वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम की सार्थकता जानने हेतु द्वि-वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम एवं इस कार्यक्रम के लाभों एवं इसकी सीमाओं को जानने के लिए अध्ययन किया।

अध्यापक शिक्षा में सुधार के क्रम में दिनांक 28-11-14 को राजपत्र के क्रम सं. 346 एफ. नं. 51-1/2014/एन.सी.टी.ई./एन.एस. पर अधिसूचित एन.सी.टी.ई. (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम 2014 में संशोधित, परिवर्तित, नवीन मानदण्ड तथा मानकों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (मा.स्त.अ.शि.का.) की संरचना में सत्र 2015-16 से महत्वपूर्ण परिवर्तन आये हैं। सम्बद्ध साहित्य के अध्ययन के दौरान शोधार्थी द्वय को भारत में सम्पन्न ऐसा कोई अध्ययन प्रमाण नहीं मिला जिसमें राजस्थान राज्य में अध्यापक शिक्षा के पुनर्संगठन से अध्यापक शिक्षा संस्थानों के प्रबन्धकों के समक्ष व्युत्पन्न भौतिक संसाधनों से सम्बंधित चुनौतियों का अध्ययन किया गया हो। इसलिए माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के पुनर्संगठन से प्रबन्धकों के समक्ष व्युत्पन्न भौतिक संसाधनों से सम्बंधित चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता द्वय ने अपनी शोध समस्या का निर्धारण किया।

अध्ययन उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के अग्रांकित उद्देश्य निर्धारित किये गए हैं-

1. मा.स्त.अ.शि.का. के पुनर्संगठन से अध्यापक शिक्षा संस्थानों के प्रबन्धकों के समक्ष व्युत्पन्न भौतिक संसाधनों से सम्बंधित चुनौतियों का अध्ययन करना।
2. व्युत्पन्न भौतिक संसाधनों से सम्बंधित चुनौतियों के प्रबन्धकों द्वारा निकाले गए व्यक्तिगत या संस्थागत समाधान की जानकारी प्राप्त करना।
3. भौतिक संसाधनों से सम्बंधित चुनौतियों के समाधान हेतु प्रबन्धकों के सुझावों का विश्लेषण करना।

अध्ययन की अवधारणाएँ

इस अध्ययन का विकास अग्रांकित अवधारणाओं ध्यान में रख कर किया गया है-

1. मा.स्त.अ.शि.का. के पुनर्संगठन से प्रबन्धकों के समक्ष व्युत्पन्न भौतिक संसाधनों से सम्बंधित चुनौतियों की पहचान एवं विश्लेषण किया जा सकता है।
2. व्युत्पन्न भौतिक संसाधनों से सम्बंधित चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया के क्रम में प्रबन्धकों द्वारा व्यक्तिगत या संस्थागत समाधान निकाले गए हैं।
3. भौतिक संसाधनों से सम्बंधित चुनौतियों के सम्भाव्य समाधान के क्रम में प्रबन्धकों के अपने विशिष्ट सुझाव हैं।

अध्ययन की प्रकृति एवं विधि

चुने हुए प्रतिनिधि न्यादर्श से सूचनाओं, साक्ष्यों, प्रमाणों को ''यथास्थैतिक'' आधार पर संकलन करने के लिए सर्वेक्षण विधि' का प्रयोग किया गया है। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के पुनर्संगठन से व्युत्पन्न चुनौतियों व इनके सम्भाव्य समाधानों का विश्लेषणपरक वर्णन करने के लिए शैक्षिक अध्ययन की वर्णनात्मक विधि 'वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि' का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्शन एवं न्यादर्श

प्रस्तुत शोध अध्ययन में राजस्थान राज्य में द्वि-वर्षीय सेवापूर्व मा.स्त.अ.शि.का. का संचालन करने वाले 794 बी.एड. और 67 शिक्षाशास्त्री संस्थानों में से शोधोद्देश्यानुसार उचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखते हुए 96 बी.एड. और 10 शिक्षाशास्त्री संस्थानों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। यादृच्छिक विधि से चयनित इन संस्थानों में से कुल 6 ऐसे संस्थानों का चयन हुआ, जिनमें बी.एड. और शिक्षाशास्त्री दोनों कार्यक्रमों का संचालन किये जा रहे थे। इसलिए अध्ययन के अन्तिम न्यादर्श में कुल 100 प्रबन्धकों का चयन उपलब्धता के आधार पर सौद्देश्यपूर्ण ढंग से किया गया।

प्रदत्त संकलन हेतु प्रयुक्त प्रविधि एवं प्रदत्तों की प्रकृति

प्रस्तुत शोध अध्ययन में बहु-प्रविधियों (असंरचित अवलोकन, असंरचित एवं अर्ध संरचित साक्षात्कार, प्रश्नावली, तथा विषयवस्तु विश्लेषण) की सहायता से मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार प्रदत्त एकत्रित किये गये हैं।

प्रयुक्त सांख्यिकीय प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में संकलित मात्रात्मक प्रदत्तों का वर्णनात्मक सांख्यिकीय प्रविधि के अन्तर्गत आवृत्ति विश्लेषण एवं प्रतिशत विश्लेषण का उपयोग किया है।

प्रदत्तों का प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण एवं निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के लिए विकसित प्रश्नावली में दिए गए पद विशेष पर प्रबंधकों द्वारा प्रदत्त वरीयता की आवृत्तियों की गणना करते हुए प्रतिशत ज्ञात किया गया है। अन्य प्रविधियों द्वारा संकलित जानकारी का उपयोग व्युत्पन्न भौतिक संसाधनों से सम्बंधित चुनौतियों का संस्थागत समाधान एवं सम्भाव्य समाधानों की पहचान हेतु किया गया है

क्र.सं.	पद	प्रतिक्रिया एवं आवृत्ति (प्रतिशत)		
		हाँ	नहीं	योग
1.	क्या पुस्तकालय एवं वाचनालय कक्ष में 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को बैठने की सुविधा करना एक चुनौती है?	30	70	100
	क्या आपने इस चुनौती का कोई व्यक्तिगत या संस्थागत समाधान निकाला है?	20 (66.67%)	10 (33.33%)	30 (100%)

उपर्युक्त तालिका 1 का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि भौतिक संसाधन संबंधी चुनौतियों में से पुस्तकालय व वाचनालय कक्ष में 50 प्रतिशत विद्यार्थियों के बैठने की सुविधा उपलब्ध कराने को लगभग एक तिहाई प्रबन्धकों ने अपने समक्ष एक चुनौती माना है। यह अच्छा संकेत माना जा सकता है कि इनमें से दो तिहाई प्रबन्धकों ने इसका संस्थागत समाधान निकाला है। दूसरी ओर लगभग तीन-चौथाई प्रबन्धक पुस्तकालय एवं वाचनालय कक्ष में 50 प्रतिशत विद्यार्थियों के बैठने की सुविधा करने को चुनौती नहीं मानते हैं।

इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकाँश प्रबंधकों के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय कक्ष में 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को बैठने की सुविधा करना एक चुनौती नहीं है। अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ है कि इन संस्थानों में या तो पुस्तकालय एवं वाचनालय कक्ष में 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को बैठने की सुविधा विद्यमान है या इस सुविधा की सुलभता के लिए कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

क्र.सं.	पद	प्रतिक्रिया एवं आवृत्ति (प्रतिशत)		
		हाँ	नहीं	योग
2.	क्या पुस्तकालय में 1000 पुस्तक शीर्षक तथा ऐसी शीर्षकों की 3000 पुस्तकें उपलब्ध करवाना एक चुनौती है?	35	65	100
	क्या आपने इस चुनौती का कोई व्यक्तिगत या संस्थागत समाधान निकाला है?	10 (28.57%)	25 (71.42%)	35 (100%)

उपर्युक्त तालिका 2 का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि लगभग एक तिहाई प्रबन्धक पुस्तकालय में 1000 पुस्तक शीर्षक तथा ऐसे शीर्षकों की 3000 पुस्तकें उपलब्ध करवाने को एक चुनौती नहीं मानते हैं, जबकि लगभग दो तिहाई प्रबन्धक इसे अपने लिए एक चुनौती नहीं मानते हैं।

इस अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि अधिकाँश प्रबंधकों के लिए पुस्तकालय में 1000 पुस्तक शीर्षक तथा ऐसी शीर्षकों की 3000 पुस्तकें उपलब्ध करवाना एक चुनौती नहीं है। अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ है कि इन संस्थानों में या तो पुस्तकालय में 1000 पुस्तक शीर्षक तथा ऐसी शीर्षकों की 3000 पुस्तकें विद्यमान है या इस सुविधा की सुलभता के लिए खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

क्र.सं.	पद	प्रतिक्रिया एवं आवृत्ति (प्रतिशत)		
		हाँ	नहीं	योग
3.	क्या पाठ्यचर्या प्रयोगशाला में विद्यालय पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सामग्री व अन्य संसाधन उपलब्ध करवाना एक चुनौती है?	35	65	100
	क्या आपने इस चुनौती का कोई व्यक्तिगत या संस्थागत समाधान निकाला है?	10 (28.57%)	25 (71.42%)	35 (100%)

उपर्युक्त तालिका 3 का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि जहाँ एक ओर पाठ्यचर्या प्रयोगशाला में विद्यालय पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सामग्री व अन्य संसाधन उपलब्ध करवाने को अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लगभग एक तिहाई प्रबन्धकों ने एक चुनौती माना है। वहीं दूसरी ओर लगभग दो तिहाई प्रबन्धक प्रबन्धकों ने पाठ्यचर्या प्रयोगशाला में विद्यालय पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सामग्री व अन्य संसाधन उपलब्ध करवाने को एक चुनौती नहीं माना है। इन प्रबन्धकों में से सर्वाधिक प्रबन्धकों ने यह बताया कि ये सभी संसाधन व पाठ्यचर्या संबंधी सामग्री उपलब्ध करवाने में बहुत खर्च होता है तथा इतना पर्याप्त नहीं होता है कि, नवीन तकनीकी व संसाधनों को जुटाना चुनौती है क्योंकि नवाचार होते रहते हैं।

इस अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि अधिकाँश प्रबंधकों के लिए पाठ्यचर्या प्रयोगशाला में विद्यालय पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सामग्री व अन्य संसाधन उपलब्ध करवाना एक चुनौती नहीं है। अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ है कि इन संस्थानों में या तो पाठ्यचर्या प्रयोगशाला में विद्यालय पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सामग्री व अन्य संसाधन उपलब्ध हैं या इनको सुलभ कराने के लिए खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

क्र.सं.	पद	प्रतिक्रिया एवं आवृत्ति (प्रतिशत)		
		हाँ	नहीं	योग
4.	क्या सभी सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी सुविधाएँ {कम्प्यूटर, टीवी, कैमरा, आई.सी.टी. उपकरण जैसे-रिसीव ओनली टर्मिनल, एस.आई.टी. (सेटेलाइट इंटरलाकिंग टर्मिनल) आदि} उपलब्ध करवाना एक चुनौती है?	30	70	100
	क्या आपने इस चुनौती का कोई व्यक्तिगत या संस्थागत समाधान निकाला है?	10 (33.33%)	20 (66.67%)	30 (100%)

उपर्युक्त तालिका 4 का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि सभी सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी सुविधाएँ {कम्प्यूटर, टीवी, कैमरा, आई.सी.टी. उपकरण जैसे-रिसीव ओनली टर्मिनल, एस.आई.टी. (सेटेलाइट इंटरलाकिंग टर्मिनल) आदि} उपलब्ध करवाने को लगभग एक तिहाई प्रबन्धकों ने चुनौती माना है। दूसरी ओर लगभग तीन चौथाई प्रबन्धक सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी सुविधाओं तथा आई.सी.टी. उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को स्वयं के समक्ष चुनौती नहीं मानते हैं। इनमें से करीब एक तिहाई प्रबन्धकों ने बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए संस्थागत स्तर पर इन्वर्टर लगवाये हैं।

इस अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि अधिकाँश प्रबंधकों के लिए सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी सुविधाएँ {कम्प्यूटर, टीवी, कैमरा, आई.सी.टी. उपकरण जैसे-रिसीव ओनली टर्मिनल, एस.आई.टी. (सेटेलाइट इंटरलाकिंग टर्मिनल) आदि} उपलब्ध करवाना एक चुनौती नहीं है। अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ है कि इन संस्थानों में या तो सभी सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी सुविधाएँ {कम्प्यूटर, टीवी, कैमरा, आई.सी.टी. उपकरण जैसे-रिसीव ओनली टर्मिनल, एस.आई.टी. (सेटेलाइट इंटरलाकिंग टर्मिनल) आदि} उपलब्ध हैं या इनको सुलभ कराने के लिए खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

क्र.सं.	पद	प्रतिक्रिया एवं आवृत्ति (प्रतिशत)		
		हाँ	नहीं	योग
5.	क्या बहुप्रयोजन हॉल में निर्मित क्षेत्र को न्यूनतम 2000 वर्ग फीट कर देने के नियम का अनुपालन एक चुनौती है?	30	70	100
	क्या आपने इस चुनौती का कोई व्यक्तिगत या संस्थागत समाधान निकाला है?	5 (16.67%)	25 (83.33%)	30 (100%)

उपर्युक्त तालिका 5 का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि जहाँ बहुप्रयोजन हॉल के निर्मित क्षेत्र को न्यूनतम 2000 वर्ग फीट कर देने के नियम का अनुपालन लगभग एक तिहाई प्रबन्धकों के समक्ष एक चुनौती है। दूसरी ओर लगभग दो तिहाई प्रबन्धक बहुप्रयोजन हॉल के निर्मित क्षेत्र को न्यूनतम 2000 वर्ग फीट कर देने के नियम के अनुपालन को एक चुनौती नहीं मानते हैं।

इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकाँश प्रबंधकों के लिए बहुप्रयोजन हॉल में निर्मित क्षेत्र को न्यूनतम 2000 वर्ग फीट कर देने के नियम का अनुपालन एक चुनौती नहीं है। अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ है कि इन संस्थानों में या तो 2000 या अधिक वर्ग फीट का बहुप्रयोजन हॉल पहले से ही है या इसको सुलभ कराने के लिए निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

शोध निष्कर्ष-विवेचना एवं शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के अग्रांकित निहितार्थ हो सकते हैं-

1. इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार अधिकाँश प्रबंधकों के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय कक्ष में 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को बैठने की सुविधा करना एक चुनौती नहीं है। पुस्तकालय एवं वाचनालय कक्ष में 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को बैठने की सुविधा उपलब्ध कराने को चुनौती मानने वालों में से एक तिहाई प्रबन्धकों के अनुसार इस व्यवस्था से उनका बजटभार बढ़ गया है, जबकि अन्य के अनुसार 50 प्रतिशत विद्यार्थियों के बैठने की सुविधा करना उनके लिए अन्य कारणों से बहुत मुश्किल है। इस चुनौती के संबंध में सर्वाधिक प्रबन्धकों द्वारा संस्थागत स्तर पुस्तकालय व वाचनालय कक्ष में बैठने की व्यवस्था करना उत्साहजनक है। लगभग एक तिहाई प्रबन्धकों ने 2-3 शिफ्ट में शिक्षार्थी अध्यापकों को पुस्तकालय में भेज कर पुस्तकालयोपयोग की व्यवस्था की है। यह विकल्प आकस्मिक समाधान अवश्य हो सकता है, लेकिन अध्यापक शिक्षा संस्थान के लिए पुस्तकालय का महत्व स्वीकारते हुए प्रबंधकों को स्थायी समाधान के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय कक्ष में 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को बैठने की सुविधा विकसित करने के लिए काम शुरू कर देना चाहिए। प्रबन्धकों के अनुसार इस चुनौती के सम्भाव्य समाधानों में पुस्तकालय में पर्याप्त बैठने की सुविधा के लिए बड़ा वाचनालय सुलभ कराना, एक समय में लगभग 25-30 प्रतिशत या 35-40 विदयार्थियों को बैठाया जाना, पुस्तकालय खुलने की अवधि का विस्तार करना और आवश्यकता पड़ने पर 5-6 शिफ्ट में विदयार्थियों के पुस्तकालय व वाचनालय भेजने की व्यवस्था करना हो सकते हैं। व्यवस्थापन की दृष्टि से यह सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बैठक व्यवस्था बढ़ाने में होने वाले व्यय भार का असर कम करने के लिए एनसीटीई केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ मिलकर अनुदान सहायता या ब्याज मुक्त ऋण देने की नीति बनाकर लागू करने के लिए पहल कर सकती है।

2. इस अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि अधिकाँश प्रबंधकों के लिए पुस्तकालय में 1000 पुस्तक शीर्षक तथा ऐसी शीर्षकों की 3000 पुस्तकें उपलब्ध करवाना एक चुनौती नहीं है। निर्धारित पुस्तक शीर्षक तथा शीर्षकों की वाँछित पुस्तकें उपलब्ध करवाने को चुनौती मानने वाले ज्यादातर प्रबन्धकों ने यह बताया कि 1000 पुस्तक शीर्षक तथा शीर्षकों की संख्या ज्यादा है तथा इतनी अधिक संख्या में शीर्षक पुस्तकें उपलब्ध करवाना व्यय साध्य है। अन्य प्रबन्धकों ने यह बताया कि पुस्तकों का मूल्य अधिक है, पाठ्यक्रम बदलने के बाद इतने शीर्षक उपलब्ध करवाने में कठिनाई आयी है। जबकि लगभग एक चौथाई प्रबन्धकों ने संस्थागत स्तर पर पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध करवाने पूरी कोशिश की है। प्रबन्धकों के अनुसार इस चुनौती के सम्भाव्य समाधानों में पुस्तक शीर्षकों के लिए निर्धारित संख्या में कमी लाना तथा शिक्षार्थी अध्यापकों के लिए जरूरी पुस्तकों की व्यवस्था को प्राथमिकता देना हो सकते हैं। एनसीटीई विनियम 2014 का संकेन्द्रण केवल पुस्तक शीर्षक एवं उनकी प्रतियों पर होना उचित नहीं है। यह संकेन्द्रण पुस्तक शीर्षक एवं उनकी प्रतियों के अतिरिक्त उपयोगी और संग्रह की गुणवत्ता पर भी होना चाहिए। पुस्तकालय में पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने के क्रम में होने वाले व्यय का पूरा भार अध्यापक शिक्षा संस्थान पर ही न आये, इस हेतु एनसीटीई केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ मिलकर अनुदान सहायता या ब्याज मुक्त ऋण देने की नीति बनाकर लागू करने के लिए पहल कर सकती है।

3. इस अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि अधिकाँश प्रबंधकों के लिए पाठ्यचर्या प्रयोगशाला में विद्यालय पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सामग्री व अन्य संसाधन उपलब्ध करवाना एक चुनौती नहीं है। पाठ्यचर्या प्रयोगशाला में विद्यालय पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सामग्री व अन्य संसाधन उपलब्ध करवाने को चुनौती मानने वाले प्रबन्धकों में से लगभग एक चौथाई प्रबन्धकों ने संस्थागत स्तर पर समाधान निकालकर पाठ्यचर्या प्रयोगशाला में विद्यालय पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सामग्री व अन्य संसाधन उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है तथा विभिन्न संसाधनों व तकनीकी का ज्ञान प्राप्त कर व खरीद करते हुए अपने संस्थान में सुलभ कराने की कोशिश की है, यह सराहनीय है तथा प्रबन्धकों का अध्यापक शिक्षा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। प्रबन्धकों ने प्रयोगशाला में समुचित साधन उपलब्ध करवाने, प्रयोगशाला के लिए बजट पर्याप्त रूप में आवंटित करने, प्रयोगशाला को नवाचारों के अनुसार अद्यतन रखने को सम्भाव्य समाधान के रूप में उल्लेखित किया है। पाठ्यचर्या प्रयोगशाला में विद्यालय पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सामग्री व अन्य संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के क्रम में होने वाले व्यय का पूरा भार

अध्यापक शिक्षा संस्थान पर ही न आये, इस हेतु एनसीटीई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद आदि के साथ मिलकर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कदम उठा सकती है।

4. इस अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि अधिकाँश प्रबंधकों के लिए सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी सुविधाएँ {कम्प्यूटर, टीवी, कैमरा, आई.सी.टी. उपकरण जैसे-रिसीव ओनली टर्मिनल, एस.आई.टी. (सेटेलाइट इंटरलाकिंग टर्मिनल) आदि} उपलब्ध करवाना एक चुनौती नहीं है। सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने को चुनौती मानने वालों में से लगभग आधे प्रबन्धकों ने यह बताया है कि सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सुविधाएँ और उपकरण अत्यन्त महंगे होने के कारण उपलब्ध करवाने में कठिनाई होती है। एक तिहाई प्रबन्धकों के अनुसार इन सभी सुविधाओं के लिए पर्याप्त बजट व स्थान की आवश्यकता होती है। कतिपय प्रबन्धकों ने यह बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की निर्बाध व्यवस्था नहीं होने के कारण इन संसाधनों के उपयोग एवं इन्टरनेट से जोड़ कर इनको अधिकतम उपयोग योग्य बनाने में कठिनाई आ रही है। प्रबन्धकों के अनुसार इस चुनौती के सम्भाव्य समाधानों में बिजली की आपूर्ति व इन्टरनेट की उच्च गति की व्यवस्था सुनिश्चित करना, सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित संसाधन कम मूल्यों पर उपलब्ध कराना, दो या दो से अधिक आस-पास स्थित संस्थाओं को आपस में संसाधन साझा करने की अनुमति देना और प्रबन्धन को बाह्य वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाना हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इन्टरनेट की उच्च गति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दूर संचार विभाग, भारत सरकार को व्यापक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की निर्बाध व्यवस्था करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार को साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। अध्यापक शिक्षा संस्थानों के व्यापक महत्व को देखते हुए केंद्र और राज्य के सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी विभाग को रियायती दर पर सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी सुविधाएँ और उपकरण उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए।

5. इस अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि अधिकाँश प्रबंधकों के लिए बहुप्रयोजन हॉल में निर्मित क्षेत्र को न्यूनतम 2000 वर्ग फीट कर देने के नियम का अनुपालन एक चुनौती नहीं है। बहुप्रयोजन हॉल के निर्मित क्षेत्र को न्यूनतम 2000 वर्ग फीट कर देने के नियम को चुनौती मानने वालों में से एक तिहाई प्रबन्धकों ने यह बताया कि विनियम में दर्शाया गया बहुप्रयोजन हॉल का निर्मित क्षेत्रफल 2000 वर्ग फीट करना बहुत ज्यादा है तथा अन्य एक तिहाई के अनुसार बी.एड. या और शिक्षाशास्त्री की 2-2 या अधिक इकाई एक साथ संचालित करने पर व्यवस्था करना संभव नहीं लग रहा है। उक्त के अतिरिक्त अधिकांश संस्थाओं में 2000 या अधिक वर्ग फीट का बहुप्रयोजन हॉल पहले से है। कतिपय प्रबन्धकों ने अपनी संस्था में 2000 वर्ग फीट या अधिक निर्मित क्षेत्रफल का बहुप्रयोजन हॉल उपलब्ध भी करवाया है। प्रबन्धकों के अनुसार इस चुनौती के सम्भाव्य समाधानों में प्रबन्धकों की विभाजित राय मिली। कुछ प्रबन्धकों ने बहुप्रयोजन हॉल के निर्मित क्षेत्र को 1000 वर्ग फीट, कुछ ने 1000-1500 वर्ग फीट, निर्मित क्षेत्र 1500 वर्ग फीट या कुछ अधिक तक होने की अनुमति देने तथा अन्य ने दो या दो से अधिक आस-पास स्थित संस्थाओं को आपस में बहुप्रयोजन हॉल साझा करने की अनुमति होने को सम्भाव्य समाधानों में उच्च वरीयता दी है। एनसीटीई विनियम 2014 के पहले से संचालित अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए उक्त सुझावों पर विचार किया जा सकता है। जिन संस्थानों में भावी निर्माण के लिए स्थान उपलब्ध है, उनके प्रबन्धकों को विनियम की भावना को समझते हुए वांछित बहुप्रयोजन हॉल के निर्माण हेतु काम शुरू कर देना चाहिए। इस हेतु एनसीटीई केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ मिलकर अनुदान सहायता या ब्याज मुक्त ऋण देने की नीति बनाकर लागू करने के लिए पहल कर सकती है।

सन्दर्भ-सूची

अधिकारी, ए. (2017). ए स्टडी ऑन द परसैप्शन ऑफ द टीचर ट्रैनिज टुवर्डस टू इयर्स बी.एड. प्रोग्राम इम्प्लीमेन्टेड इन द टीचर एजुकेशन इन्स्टीटयूशन्स इन आसाम, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटफिक एण्ड रिसर्च पब्लिकेशन्स. 7(9), सितम्बर, 385-388.

गार्म एन. एण्ड कर्लसेन, एस. ई. (2004). टीचर एजुकेशन रिफार्म इन यूरोप : द केस ऑफ़ नॉर्वे; ट्रेंड्स एंड टेंशन्स इन अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव. टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन. अक्टूबर, 20(7). 731-744.

कौर, ए. एण्ड शर्मा, एम. (2016). एडवान्टेजज एण्ड लीमिटेशन्स ऑफ करेन्ट टू इयर्स करीकुलम ऑफ बी.एड. कोर्स. इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एण्ड साइकोलॉजीकल रिसर्च. 5(3). 8-10.

कुमार, ए. (2016). ऐटिट्यूड ऑफ़ प्यूपिल टीचर्स टुवर्ड्स इंटर्नशिप एज अ पार्ट ऑफ़ बी.एड. करिकुलम इन रिलेशन टू जेंडर, स्ट्रीम एंड अकादमिक क्वालिफिकेशन. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इंजीनियरिंग साइंस एंड कंप्यूटिंग. जुलाई, 6(7).retrieved from http://ijesc.org/upload/062cd959df5c89857211f0b2c5e2ee2c.Attitude%20of%20Pupil%20Teachers%20towards%20Internship%20as%20a%20Part%20of%20B.Ed%20Curriculum%20in%20Relation%20to%20Gender,%20Stream%20and%20Academic%20Qualification.pdf

नटराज, आर. (2014). एटीट्यूड ऑफ टीचर ट्रेनिंग टुवार्डस टू इयर बी.एड़ प्रोग्राम एंड देयर फ्यूचर, स्कॉलरली रिसर्च जर्नल फॉर ह्यूमनिटी साइंस एण्ड इंगलिश लैंग्वेज, 3 (15). 3646-3649.

नेशनल कौंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (2014). नेशनल कौंसिल फॉर टीचर एजुकेशन [रिकग्निशन नोर्म्स एंड प्रोसीजर] रेगुलेशंस, 2014. Retrieved from www.dcdc.puchd.ac.in/downloads/Regulation-2014.pdf

साओ, एस. एण्ड बहेरा, एस.के. (2014). स्टूडेन्ट टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स टू ईयर बी.एड. प्रोग्राम विथ रिफरेन्स टू एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014. इन्टरनेशनल रेफ्रीड जर्नल ऑफ एजुकेशन, 2 (3). 9-24

ठनियाल, एन. पी. एवं पाण्डेय, एस.के. (2007). अध्यापक शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियाँ. उद्धृत खण्डेलवाल, वाई. (2014). जयपुर जिले में माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की शैक्षणिक गुणवत्ता बनाये रखने हेतु किये जा रहे प्रयासः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. अप्रकाशित शोध प्रबन्ध. शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान. 57.

श्रीमती चंचल लता

शोध छात्रा, शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, टोंक, राजस्थान .

LBP PUBLICATION